

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

आवेदक- शानो मांजी

परमिशन वाद सं० २९ वर्ष २०१६-१७

केता- महेश्वर मांजी

ग्राम-

ग्राम-

थाना-

जिला-बोकारो

थाना-

जिला-बोकारो

श की क० सं०
तारीख
०१

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

०२

आदेश पर की गः
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख व
०३

३१/१२/२५

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष अनुपस्थित।

वाद निष्पादन हेतु उभय पक्ष की अभिरुचि नहीं है एवं अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। लम्बी अवधि से वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।